जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मई, 2009

सा.का.नि. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक वेधक-सह-मेकेनिक भर्ती नियम, 2007 को, इन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के सहायक वेधक-सह-मेकेनिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के सहायक वेधक-सह-मेकेनिक समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता —वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक वेधक-सह-मेकेनिक	318* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. +2400 रु. ग्रेड वेतन	चयन	नहीं

1964 GI/09-4

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1** :-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	**आवश्यक** :- (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (ii) जो किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से वेल्डिंग व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण-पत्र रखते हों (iii) जो किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के संगठन या उपक्रम या किसी स्थानीय निकाय या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जलकूप वेधन मशीनों के अनुरक्षण में दो वर्ष का अनुभव रखते हैं । **वांछनीय** : किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से यांत्रिकी या आटोमोबाइल या वेधन या खनन या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में डिप्लोमा । **टिप्पण 1**: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों तथा तकनीकी प्रचालक (वेधन) के लिए दो वर्ष परंतु संपीड़क प्रचालक तथा लुहार (उनकी नियुक्ति उसी समूह 'ग' में होते हुए) के लिए शून्य ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति** : वेतन बैंड-1 (5200-20,200 रु.+ग्रेड वेतन-1900 रु.) वाले ऐसे तकनीकी चालकों (वेधन) में से पचासी प्रतिशत पद जिन्होंने उस श्रेणी में बारह वर्ष नियमित सेवा की हो, और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य के पश्चात् वेल्डिंग की जानकारी सहित जल कूप वेधन मशीनों के अनुरक्षण में पांच वर्ष का अनुभव । वेतन बैंड-1 (5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन-1900 रु.) वाले ऐसे संपीड़क प्रचालकों में से दस प्रतिशत पद जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसे तकनीकी प्रचालक (वेधन) जिन्होंने उस श्रेणी में बारह वर्ष सेवा की है, और जिनके पास किसी

	(12)
	मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य के पश्चात् वेल्डिंग की जानकारी सहित जलकूप वेधन मशीनों के अनुरक्षण में पांच वर्ष का अनुभव । वेतन बैंड-1 (5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन-1900 रु.) वाले ऐसे लुहारों में से पांच प्रतिशत पद जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो, और वेधन प्रचालन को संभालने, निवारण संबंधी जानकारी का मूल्यांकन, रिगों का आवधिक अनुरक्षण, सहबद्ध उपस्कर, वेल्डिंग, वायु संपीड़कों, जलकूप पम्पों तथा यानों के प्रचालन में व्यवसाय परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के अध्यधीन वेधन रिगों के प्रचालन तथा अनुरक्षण में एक वर्ष का अनुभव रखता हो जिसके न हो सकने पर ऐसे तकनीकी प्रचालक (वेधन) जिन्होंने उस श्रेणी में बारह वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य के पश्चात् वेल्डिंग की जानकारी सहित जलकूप वेधन मशीनों के अनुरक्षण में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)		(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—		लागू नहीं होता ।
1. निदेशक (प्रशा.) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-अध्यक्ष	
2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-सदस्य	
3. किसी अन्य केन्द्रीय सरकार के विभाग से ऐसा एक अधिकारी जो कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो	-सदस्य	
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-सदस्य	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)		
1. निदेशक (प्रशा.) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-अध्यक्ष	
2. अधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-सदस्य	

[फा. सं. 23/2/2008-सीजी. डब्ल्यू बी]
शशि पाल, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 22nd May, 2009

G.S.R. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Ground Water Board Assistant Driller-cum-Mechanic Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Driller-cum-Mechanic in the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, namely :–

1. **Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board Assistant Driller-cum-Mechanic, Group 'C' post, Recruitment, Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**–The number of post, its classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Driller-cum-Mechanic	318* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	PB-1, Rs. 5200-20,200 + Grade Pay Rs. 2400	Selection	No	Up to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in case of General Candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. **Note 1** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2** : The crucial date for deremining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation if any
(8)	(9)	(10)
Essential :— (i) Matriculation from a recognised Board or equivalent; (ii) having an Industrial Training Institute certificate from a recognised Institute in welding trade; (iii) having two years experience in maintenance of water well drilling machines in any State Government or Central Government Organisation or Undertaking or any local body or any Private Limited Company. **Desirable :** Diploma in Mechanical or Automobile or Drilling or Mining or Petroleum Engineering from a recognised Institute or equivalent. **Note** : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government in case or candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	No	Two years for direct recruits and Technical Operator (Drilling) but nil for Compressor Operator and Blacksmith (their appointment being in the same Group 'C').

Method of recruitment: Whether by Direct Recruitment or by promotion or by Deputation or Absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion or Deputation or Absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion :** Eighty five per cent posts from Technical Operator (Drilling) in Pay Band-1 (Rs.5,200—20,200 + Grade Pay Rs.1900) with twelve years' regular service in the grade, having five years experience in maintenance of water well drilling machines with knowledge of welding after matriculation from a recognised Board or equivalent. Ten per cent posts from Compressor Operator in Pay Band-1 (Rs. 5200—20,200 + Grade Pay Rs.1900) with eight years' regular service in the grade, failing which from amongst the Technical Operator (Drilling) with twelve years regular service in the grade, having five years experience in maintenance of water well drilling machines with knowledge of welding after matriculation from recognised Board or equivalent. Five per cent posts from Blacksmith in Pay Band-1 (Rs.5200—20,200 + Grade Pay Rs.1900) with eight years regular service in the grade having one year experience in operation and maintenance of drilling rigs subject to qualifying the trade test in handling of drilling operation, assessing the knowledge in prevention, periodical maintenance of rigs, allied equipment, welding, operation of air compressors, water well pumps and vehicles failing which from amongst the Technical Operator (Drilling) with twelve years' regular service in the grade, having five years' experience in maintenance of water well drilling machines with knowledge of welding after matriculation from a recognised Board or equivalent.

1964 GI/09-5

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Director (Administration), Central Ground Water Board —Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board —Member 3. An officer from another Central Government Department not below the rank of Executive Engineer —Member 4. Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member. **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board —Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board —Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board —Member.	Not Applicable.

[F. No. 23/02/2008-CGWB]

SHASHI PAL, Under Secy.

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2009

विषय : अधीनस्थ विधान समिति- नागर विमानन विभाग (समूह 'ग' पद) की परीक्षा-भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2007 (2008 का सा.का.नि. 31)

सा. का. नि. 87.—भर्ती नियमावली के दिनांक 4-2-2008 के सा.का.नि. 31 के पैरा 1(1) में, संक्षिप्त नाम में वर्ष 2007 को 2008 पढ़ा जाए।

[सं. ए-12018/2/2003-स्था.-II]

के. उन्नीकृष्णन, उपनिदेशक, प्रशासन कृते नागर विमानन महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd February, 2009

Subject : Committee on Subordinate Legislation-Examination of the Civil Aviation Department (Group 'C' post)-Recruitment (Amendments) Rules, 2007 (G.S.R. 31 of 2008).

G.S.R. 87.—In Para 1 (1) of G.S.R. 31 dated 4-2-2008 of Recruitment Rules, in the short title, the year 2007 may be corrected to read as 2008.

[No. A. 12018/2/2003-E. II]

K. UNNIKRISHNAN, Dy. Director (Admn.)